न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रदीप के. गावंडे
अपील संख्या : 19/2016

श्रीमती शाहखातु पत्नी स्वर्गीय श्री सफी मोहम्मद, शेर खां, अलाबचाये खां, मोहबत खां, जुसु खां, लखु खां, सिकन्दर खां पिसरान स्वर्गीय श्री सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भारेवाला, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर — अपीलान्ट्स

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्ट्स
(2) शांतिदेवी बेवा रामूराम पुत्र जोधाराम जाति बिश्नोई निवासी भाखरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपील संख्या : 41/2016

श्रीमती शाहखातु पत्नी स्वर्गीय श्री सफी मोहम्मद, शेर खां, अलाबचाये खां, मोहबत खां, जुसु खां, लखु खां, सिकन्दर खां पिसरान स्वर्गीय श्री सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भारेवाला, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर — अपीलान्ट्स

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्ट्स
(2) सुनील कुमार पुत्र बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी भाखरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

उपस्थिति :

1. श्री हरिराम बिश्नोई — वकील अपीलान्ट्स
2. श्री सत्यपालसिंह शेखावत — वकील रेस्पोडेन्ट्स
3. पैरोकारराज

निर्णय

दिनांक :– 31–07–2024

यह अपील अपीलान्ट्स श्रीमती शाहखातु पत्नी स्वर्गीय श्री सफी मोहम्मद, शेर खां, अलाबचाये खां, मोहबत खां, जुसु खां, लखु खां, सिकन्दर खां पिसरान स्वर्गीय श्री सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भारेवाला, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–04–2007 एवं 18–09–2007 को हुए आवंटन के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ग्राम भारेवाला तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर के सदभावी निवासी है एवं पेशा खेती–मजदूरी हैं एवं स्वर्गीय श्री सफी मोहम्मद के जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट्स ने एक दावा घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती का न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना में पेश किया कि ग्राम भारेवाला के पुराने खेत ख0नं0 9 रकबा 28–15 बीघा, ख0नं0 10 रकबा 5–15 बीघा, ख0नं0 11 रकबा 5–15 बीघा, ख0नं0 12 में 11–15 बीघा, ख0नं0 13 में 5–15 बीघा, ख0नं0 14 में 11–15 बीघा भूमि वादीगण की पुश्तैनी कब्जा व काश्त की समरी सैटलमेन्ट की कृषि भूमि है। सैटलमेन्ट की प्रक्रिया के दौरान सैटलमेन्ट विभाग द्वारा यह जमीन अपीलान्ट्स के पूर्वजों के नाम से समरी

सैटलमेन्ट संवत 2012 में गैर खातेदार काश्तकार दर्ज की गई। राजस्व रिकार्ड पर्चा खतौनी खसरा गिरदावरी, ढालबांछ, जमाबंदी, पर्चा लगान तहसील गिरदावरी आदि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का नाम संवत 2012 से संवत 2035 तक राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया जिसमें समरी सैटलमेन्ट की पुश्तैनी कब्जा व काश्त की जमीन वर्तमान में ग्राम भारेवाला की शरहद में चक 2 बीडब्ल्यूएम–ए के मु0नं0 214/58 में 25–00 बीघा, मु0नं0 214/52 में 25–00 बीघा, मु0नं0 234/01 में 25–00 बीघा, चक 2 बीडब्ल्यूएम–बी के मु0नं0 233/11 में 11–00 बीघा, मु0नं0 233/10 में 10–00 बीघा आई है। उक्त भूमि समरी सैटलमेन्ट की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि है। जमीन के चारो ओर बाड की हुई है। अपीलान्ट्स की पुरानी रिहायशी ढाणी बनी हुई है। पानी के कुण्ड बने हुए है। अपीलान्ट्स मय परिवार आबाद होकर काश्त कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–4–2007 को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 रामूराम पुत्र जोधाराम जाति बिश्नोई निवासी भाखरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर को मोहरबन्द बोली में चक 2 बीडब्ल्यूएम–बी के मु0नं0 233/10 में 9–00 बीघा कमाण्ड व 16–00 बीघा अनकमाण्ड एवं सुनील कुमार पुत्र बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी भाखरी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर को चक 2 बीडब्ल्यूएम–बी के मु0नं0 233/11 में 11–00 बीघा कमाण्ड एवं 14–00 बीघा अनकमाण्ड रकबा आवंटन कर दिया गया जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट्स की दावाधीन भूमि हैं। इस जमीन का निस्तारण जरिये दावा होना चाहिए। अपीलान्ट्स खुद ग्राम भारेवाला का स्थानीय निवासी है। प्राथमिकता के आधार पर अपीलान्ट्स को जमीन मिलनी चाहिए जबकि अदालत मातहत अपीलान्ट्स को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना दावे का निस्तारण किए बिना, अपीलान्ट्स के आवेदन पत्र लिये बिना रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 को गलत आवंटन किया है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपीलान्ट्स की दावाधीन विवादग्रस्त मौके पर कब्जा व काश्त की जमीन चक 2 बीडब्ल्यूएम–बी के मु0नं0 233/10, 233/11 की भूमि नीलामी बोली में आवंटन कर दिया गया जबकि उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट्स की कब्जे व काश्त की दावाधीन भूमि है। दावाधीन अपीलाधीन भूमि माननीय राजथान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट संख्या 633/08 निर्णय दिनांक 25–01–2008 के द्वारा दावा चलने तक मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति ताफैसला स्टे के आदेश दिये है। उक्त रकबा वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्टे से प्रभावित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अन्य जगह रकबा दिया जा सकता है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को निर्देशित किया जावे कि दावे का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। प्राथमिकता के आधार पर अपीलाधीन भूमि अपीलान्ट्स को दी जावे।

अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्राथमिक आपत्ति पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक ने कहा कि अपीलार्थी द्वारा जो अपील पेश की गई है। यह अपील निर्णय 07–04–2007 व 18–09–2007 के विरूद्ध पेश की गयी है। अपील द्वारा दो निर्णयों के विरूद्ध सुनवाई नहीं की जा सकती व अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को निर्देशित किया जावे कि दावे का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। अतः अपील के मार्फत अपीलान्ट को उक्त बिन्दु पर अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अपीलान्ट्स के अभिभाषक ने अपील दो आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में लिखित बहस प्रस्तुत की कि चक 2 बीडब्ल्यूएम–बी के मु0नं0 233/10 एवं 233/11 के भूमि आवंटन के लिये रेस्पोडेन्ट ने उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना के

समक्ष आवेदन पत्र पेश करने पर सिंगल आवेदन पत्र स्वीकार होने पर उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना ने दिनांक 07–04–2007 को उक्त आवंटन की पुष्टि व आवंटन आदेश के लिये पत्रावली आयुक्त उपनिवेशन को भेजी। आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 18–09–2007 को आवंटन की पुष्टि करते हुए आवंटन राशि जमा करवाकर आवंटन आदेश जारी करने का आदेश दिया गया। उक्त दिनांक 18–09–2007 के आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है। उक्त पत्रावली में कोई दो आदेश पारित नहीं किये गये है, एक ही आदेश से जारी हुआ है, जो आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा दिनांक 18–09–2007 को जारी किया गया है। उक्त पत्रावली में अन्य कोई दूसरा आदेश नहीं है। गलत तथ्यों पर की गयी बहस रेस्पोडेन्ट निरस्त फरमाते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आवंटन आदेश दिनांक 18–09–2007 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट्स के अभिभाषक ने फॉर्म नं0 3 के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की रिट संख्या 633/2008 के निर्णय दिनांक 26–03–2008 की प्रति व हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कब्जाकाश्त शाहखातुन का दर्शाया गया हैं। पैरोकारराज ने भी रेस्पोडेन्ट अभिभाषक के तथ्यों को दोहराया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्राथमिक आपत्ति पर उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा जो प्राथमिक आपत्ति दर्ज की गयी, वह सही है। अपीलान्ट्स के अभिभाषक द्वारा जो अपील उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना के आदेश दिनांक 07–04–2007 व 18–09–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत किये, वे अलग–अलग तिथि के हैं, दो आदेशों के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अपीलार्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत याचिका संख्या 633/2008 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26–03–2008 द्वारा याचिका निस्तारित करते हुए आदेश दिये गये कि यदि याचिगण (अपीलार्थीगण) का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा हो, तो प्रकरण में उनके द्वारा वाद में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारण किये जाने तक उन्हें प्रश्नगत भूमि से बेदखल नहीं किया जावे। उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद के संलग्न प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 खारिज किया जा चुका है। अतः प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर का स्थगन आदेश दिनांक 26–03–2008 निष्प्रभावी हो चुका हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उक्त निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31–07–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रदीप के. गावंडे)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर